(3)

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

सं०सं० –परि ०आ०-349/2015 979 राँची, दिनांक- 18/7/17

अधिसूचना

राज्य अंतर्गत प्रखंडों/अनुमंडलों से ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 63, दिनांक–08.01.2016 द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली,2015 के रूप में अधिसूचित किया गया है। सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड द्वारा ग्रामीण मार्गों को चिह्नित करते हुए मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

झारखण्ड राज्य में ग्रामीण बस सेवा के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु वाहनस्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है–

"झारखण्ड करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों जिन्हें ग्रामीण बस सेवा के तहत परमिट निर्गत किया जाएगा वैसे वाहन को परमिट की मान्य अवधि में देय कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किया जाता है।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/7/17

(ब्रजेन्द्र हेमरोम)

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि० आ०- 349/2015- 979 राँची, दिनांक – 18/7/17

प्रतिलिपि : उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

18/7/17

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि० आ०- 349/2015- 979 राँची, दिनांक - 18/7/17

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /मुख्य सचिव , झारखण्ड /सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड /सभी प्रधान सचिव / सचिव/ विभागाध्यक्ष, झारखण्ड /सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त/ सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक /संयुक्त परिवहन आयुक्त ,झारखण्ड / सभी उप परिवहन आयुक्त-सह – सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड /परिवहन आयुक्त के सचिव /सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ,झारखण्ड /सभी मोटरयान निरीक्षक,झारखण्ड/ सभी प्रवर्तन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रवर्तन निरीक्षक,झारखण्ड/अवर निरीक्षक, झारखण्ड /सभी यातायात पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड/राज्य सूचना पदाधिकारी,एन.आई.सी., झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित |

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग